प्रेस नोट   पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद   दिनांक 01.07.2025

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुये 02 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का 01 छोटा हाथी/टैम्पो बरामद।

दिनांक 29.06.2025 को थाना ट्रोनिका सिटी पर वादी श्री प्रियांशू पुत्र संतोष कुमार गुप्ता निवासी बंसत विहार नीयर खानपुर गेट लोनी गजियाबाद द्वारा तहरीर दी गयी कि अज्ञात चोर द्वारा वादी की गाडी छोटा हाथी चोरी कर ले जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना ट्रोनिका सिटी पर धारा 303(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 30.06.2025 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त घटना का सफल अनावरण करते हुये घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्तगण 1. लक्की राघव पुत्र प्रवीण राघव निवासी खानपुर जप्ती थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष 2. अमन उर्फ हरन पुत्र जाकिर निवासी बसंत विहार खानपुर गेट के पास रामपार्क थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष को फातिमा मस्जिद के पास चौकी क्षेत्र रामपार्क से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से चोरी का 01 छोटा हाथी/टैम्पो बरामद हुआ। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्तों ने बताया कि हम दोनो आपस में दोस्त हैं तथा कल हमने बंसत विहार खानपुर गेट वाली गली थाना ट्रोनिका सिटी से यह छोटा हाथी/टैम्पो चोरी किया था जिसे हम दिल्ली में कबाड़ी के यहाँ कटवाने के लिए जा रहे थे कि पुलिस ने पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. लक्की राघव पुत्र प्रवीण राघव निवासी खानपुर जप्ती थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष।
2. अमन उर्फ हरन पुत्र जाकिर निवासी बसंत विहार खानपुर गेट के पास रामपार्क थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से चोरी का 01 छोटा हाथी/टैम्पो बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तों के विरूद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर उक्त वाहन चोरी व बरामदगी के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले अभियुक्त व अभियुक्ता गिरफ्तार, कब्जे से 20 किलो 700 ग्राम अवैध गांजा बरामद।

आज दिनांक 01.07.2025 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा गश्त व चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाली अभियुक्ता 1. रहीमा बीबी पत्नी लतीफ मियां निवासी ग्राम बारा मरीचा गीतलदाहा थाना शीतालकुची जनपद कूच विहार राज्य पश्चिम बंगाल उम्र करीब 52 वर्ष व अभियुक्त 2. आहिदुल मियां पुत्र लतीफ मियां निवासी ग्राम पठानतुली थाना शीतालकुची जनपद कूच विहार राज्य पश्चिम बंगाल उम्र करीब 28 वर्ष को चिपियाना अंडरपास के पास से थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से 20 किलो 700 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। उक्त बरामदगी के आधार पर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर अभियुक्त व अभियुक्ता के विरुद्ध धारा 8/20 NDPS ACT के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त व अभियुक्ता ने पूछताछ करने पर अपने जुर्म को स्वीकार करते हुए बताया कि हम लोग पश्चिम बंगाल से भारी मात्रा मे गांजा लेकर आते हैं तथा उस गांजा की छोटी छोटी पुडिया बनाकर राह चलते लोगों को बेच कर अच्छा मुनाफा कमा लेते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त व अभियुक्ता का नाम व पता–

1.रहीमा बीबी पत्नी लतीफ मियां निवासी ग्राम बारा मरीचा गीतलदाहा थाना शीतालकुची जनपद कूच विहार राज्य पश्चिम बंगाल उम्र करीब 52 वर्ष

2.आहिदुल मियां पुत्र लतीफ मियां निवासी ग्राम पठानतुली थाना शीतालकुची जनपद कूच विहार राज्य पश्चिम बंगाल उम्र करीब 28 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

20 किलो 700 ग्राम अवैध गांजा बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त व अभियुक्ता के विरुद्ध उक्त अवैध गांजा बरामदगी के सम्बन्ध में थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है।

अभियुक्ता रहीमा बीबी के विरुद्ध थाना जीआरपी गाजियाबाद पर अवैध गांजा बरामदगी के संबंध में 01 अभियोग व थाना सेक्टर-63 गौतमबुद्धनगर पर अवैध गांजा बरामदगी के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है। (कुल अभियोग -03)

अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम---थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम।

साइबर सेल थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा साइबर फ्रॉड में ठगी गई 9,000 रू0 की धनराशि वापस करायी गई।

आज दिनांक 01.07.2025 को साइबर सेल थाना ट्रोनिका सिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा आवेदिका कुमारी मोहिनी निवासी पूजा कालोनी थाना ट्रोनिका सिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद के साथ हुए साइबर फ्रॉड में ठगी गई कुल धनराशि 09 हजार रूपये को आवेदिका को वापस कराया गया।

कार्यवाही का विवरण-

साइबर क्राइम अपराधियों के विरुद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही के परिणाम स्वरूप साइबर सेल थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद को NCRP पोर्टल के माध्यम से कुमारी मोहिनी निवासी पूजा कालोनी थाना ट्रोनिका सिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद के साथ 09 हजार रूपये की ऑनलाइन ठगी से सम्बन्धित शिकायत प्राप्त हुई थी जिस पर साइबर सेल थाना ट्रोनिका सिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए आवेदिका के साथ हुई ऑनलाइन ठगी की धनराशि को होल्ड कराया गया व अथक प्रयासों के बाद दिनांक 01.07.2025 को आवेदिका के साथ हुई साइबर फ्रॉड की धनराशि को बैंक से पत्राचार कर वापस कराया गया। आवेदिका द्वारा थाना ट्रोनिका सिटी पर आकर पुलिस टीम का आभार प्रकट किया गया।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम-

थाना ट्रोनिका सिटी साइबर सेल टीम।

थाना लिंकरोड पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना कारित करने वाले 04 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किया हुआ 38 बंडल तार (कीमत लगभग 50,000/- रूपये) बरामद।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 30.06.2025 को थाना लिंकरोड पर वादी श्री नरेश कुमार गुप्ता पुत्र स्व0 श्री श्याम लाल गुप्ता निवासी बी-330 ब्रिज विहार थाना लिंकरोड जनपद गाजियाबाद द्वारा लिखित तहरीर दी गई कि मेरे घर में बिजली के सामान की दुकान है। दिनांक 29.06.2025 की रात्रि को अज्ञात व्यक्ति द्वारा 14 कार्टून (56 बंडल) तार, डीवीआर व सीसीटीवी कैमरे चोरी कर लिया गया है। वादी की प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लिंकरोड पर धारा 305 बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। तत्काल टीम गठित कर, मैनुअल इनपुट, सीसीटीवी फुटेज व मुखबिर खास की सूचना के आधार पर दिनांक 30.06.2025 को ही उक्त घटना को कारित करने वाले 04 शातिर अभियुक्त 1. इमरान पुत्र शेख मोहसीन निवासी नई सीमापुरी ए 44 बी 13 थाना सीमापुरी दिल्ली उम्र करीब 28 वर्ष, 2. आश मो0 उर्फ आशु पुत्र जल्लाउद्दीन निवासी मछली मार्किट एफ 168 थाना सीमापुरी दिल्ली उम्र करीब 32 वर्ष, 3. मीजान खान उर्फ के0टी0 पुत्र नासिर खान निवासी ए 44 बी 540 नई सीमापुरी थाना सीमापुरी दिल्ली उम्र करीब 30 वर्ष, 4.सोनू पुत्र उमर निवासी ई 44 सी 120 नई सीमापुरी थाना सीमापुरी दिल्ली उम्र करीब 32 वर्ष को थाना लिंकरोड़ क्षेत्रान्तर्गत कड़कड़ रेलवे फाटक के पास पटरी के किनारे से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से चोरी किया हुआ 38 बंडल बिजली का तार बरामद हुआ। गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त

के विरुद्ध धारा 305(ए),331(4),317(2),3(5) बीएनएस की बढ़ोत्तरी कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि दिनांक 29.06.25 की रात्रि को चारो अभियुक्तों ने मिलकर वादी के घर का ताला तोड़कर बिजली के तार का बंडल, डीवीआर व सीसीटीवी कैमरे चोरी किया था। अभियुक्तों ने मिलकर सीसीटीवी कैमरे व डीवीआर को नाले में फेक दिया तथा उक्त बिजली के तार के बंडल को बेचने की फिराक में कड़कड़ रेलवे फाटक के पास पटरी के किनारे घूम रहे थे।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पताः -

1. इमरान पुत्र शेख मोहसीन निवासी नई सीमापुरी ए 44 बी 13 थाना सीमापुरी दिल्ली उम्र करीब 28 वर्ष।
2. आश मो0 उर्फ आशु पुत्र जल्लाउद्दीन निवासी मछली मार्किट एफ 168 थाना सीमापुरी दिल्ली उम्र करीब 32 वर्ष।
3. मीजान खान उर्फ के0टी0 पुत्र नासिर खान निवासी ए 44 बी 540 नई सीमापुरी थाना सीमापुरी दिल्ली उम्र करीब 30 वर्ष।
4. सोनू पुत्र उमर निवासी ई 44 सी 120 नई सीमापुरी थाना सीमापुरी दिल्ली उम्र करीब 32 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः -

- चोरी किया हुआ 38 बंडल बिजली का तार (कीमत लगभग 50,000/- रुपये) बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहासः- गिरफ्तार अभियुक्त आश मो0 उर्फ आशु, मीजान खान व सोनू के विरुद्ध थाना लिंकरोड़ पर चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है। अभियुक्त इमरान के विरुद्ध थाना लिंकरोड पर चोरी का 01 अभियोग व थाना साहिबाबाद पर अबकारी अधिनियम का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकरी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना लिंक रोड पुलिस टीम।